भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3214

7 **अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत शहरों और शहरी स्थानीय निकायों का कवरेज

+3214. **श्री नवीन जिंदलः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी सांविधिक कस्बों और अधिसूचित योजना क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) लागू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने शहर और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं;

(ग) क्या इस योजना में औद्योगिक विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत कस्बों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों को शामिल करने की प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले महानगरों की संख्या कितनी है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू को जनगणना **2011** के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत किसी ऐसे प्राधिकरण जिसे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं, के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्र समेत बाद में अधिसूचित कस्बों के साथ-साथ महानगरों और छोटे शहरों में कार्यान्वयन किया गया है, कस्बों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों को संबंधित राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए अनुरोध के आधार पर मंत्रालय द्वारा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।पीएमएवाई-यू के आवासों को देश भर के सभी महानगरों सहित **4,895** शहरों/शहरी स्थानीय निकायों **(**यूएलबी**)**/विकास प्राधिकरणों/अधिसूचित क्षेत्रों/ छावनी बोर्डों में स्वीकृति दी गई है।शहरों/कस्बों/विकासप्राधिकरणों के क्षेत्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है ताकि चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता की जा सके।अधिसूचित योजना क्षेत्रों, औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण या ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शहर/कस्बे और ऐसे क्षेत्र, जहां पीएमएवाई-यू कार्यान्वित है, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कवर किए जाते रहेंगे। राज्यों द्वारा अधिसूचित नए शहरों/शहरी स्थानीय निकायों को राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए अनुरोध के आधार पर सूची में शामिल किया गया है।

*****

दिनांक07.08.2025 कोउत्तर दिए जाने वाले लोक सभा प्रश्नसंख्या 3214 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

शहरों/कस्बों और शहरी विकास प्राधिकरणों, जिनमें पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवास स्वीकृत किए गए थे, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरों/कस्बों की संख्या	यूडीए की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	-
2	आंध्र प्रदेश	125	19
3	अरुणाचल प्रदेश	31	-
4	असम	103	-
5	बिहार	147	-
6	चंडीगढ़	1	-
7	छत्तीसगढ	170	1
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	3	-
9	दिल्ली	5	-
10	गोवा	14	3
11	गुजरात	185	15
12	हरियाणा	86	-
13	हिमाचल प्रदेश	65	5
14	जम्मू और कश्मीर	80	-
15	झारखंड	52	2
16	कर्नाटक	303	-
17	केरल	94	1
18	लद्दाख	2	-
19	मध्य प्रदेश	414	-
20	महाराष्ट्र	405	3
21	मणिपुर	27	-
22	मेघालय	10	-
23	मिजोरम	23	-
24	नागालैंड	32	-
25	ओडिशा	118	1
26	पुदुचेरी	6	-
27	पंजाब	169	-
28	राजस्थान	242	3
29	सिक्किम	8	
30	तमिलनाडु	720	1
31	तेलंगाना	141	-
32	त्रिपुरा	20	-
33	उत्तर प्रदेश	780	16
34	उत्तराखंड	105	2
35	पश्चिम बंगाल	132	4
कुल योग		4,819	76

*****